

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2119 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954, में 1969 का बारहवां संशोधन, जो दिनांक 6 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2120 में प्रकाशित हुआ था ।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदालि में संख्या का निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 20 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2229 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954, में 1969 का दसवां संशोधन, जो दिनांक 20 सितम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2230 में प्रकाशित हुआ था ।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 2329, जो दिनांक 4 अक्टूबर, 1969, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 23 अगस्त, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1992 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(सोलह) जी० एस० आर० 2391, जो दिनांक 11 अक्टूबर 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 23

अगस्त, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1993 शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदालि में संख्या का निर्धारण) बारहवां संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 8 नवम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2562 में प्रकाशित हुए थे ।

(अठारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 1954, में 1969 का चौदहवां संशोधन जो दिनांक 8 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2563 में प्रकाशित हुआ था ।

(2) उपरोक्त मद (1) के (एक) से लेकर तीन उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण ।

[Placed in Library. See No. LT 2141/69]

ARCHITECTS BILL

(i) REPORT OF JOINT COMMITTEE

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : I beg to lay on the Table a copy of the Report of the Joint Committee on the Bill to provide for the registration of architects and for purposes connected therewith.

(ii) EVIDENCE

SHRI BAL RAJ MADHOK : I beg to lay on the Table a copy of the evidence given before the Joint Committee on the Bill to provide for the registration of architects and for purposes connected therewith.